स्मरण पत्र–1
अतिआवश्यक / समयबद्ध

Dy. Director of Higher Education
Dr. No. 28105-28256
22 JUL 2017
Shimla-1

संख्याःशिक्षा–शिमला(1–6)3 / 15–16–आडिट–
कार्यालय उप निदेशक उच्चतर शिक्षा
शिमला जिला शिमला–171001
दिनांक शिमला–171001

सेवा में

प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक,
रा0व0मा0पा0 / रा0उ0पाठशाला (संलग्न सूची अनुसार)
जिला शिमला

विषयः– असमायोजित आडिट पैरों के समायोजन हेतु तदर्थ समिति की बैठक बारे।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र संख्याः शिक्षा–शिमला(1–6)3 / 15–16–आडिट–84040–84529 दिनांक18 / 05 / 2017 की ओर आकर्षित करते हुये जिसके अन्तर्गत आपको निर्देश दिये गये थे कि आप स्वयं या अपनी पाठशाला के सम्बन्धित सहायक / लिपिक(आडिट)की उपस्थिति दिनांक 03 / 06 / 2017 से पूर्व अपने कार्यालय के लम्बित आडिट पैरों, पैरों बारे की गई कार्यवाही व लम्बित आडिट पैरों से सम्बन्धित कार्यालय अभिलेख, आडिट रिपोर्ट व सटिप्पण उत्तर की प्रति सहित इस कार्यालय में में सुनिश्चित करें ताकि 13 व 14,सितम्बर 2017 को निदेशालय में होने वाली तदर्थ समिति की बैठक में अधिक से अधिक असमायोजित आडिट पैरों का समायोजन किया जा सके। इसके अतिरिक्त दिनांक 26 / 05 / 2017 को रा0व0मा0पा0पोर्टमोर में खेलकूद के सन्दर्भ में आयोजित की गई में बैठक में अधोहस्ताक्षरी व अनुभाग अधिकारी द्वारा भी आवश्यक निर्देश दिये गये थे लेकिन यह अत्यन्त खेद का विषय है कि आपकी पाठशाला से आज दिन तक इस बारे कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। अतः आपको पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि आप दिनांक 05 / 08 / 2017 तक पूर्ण दस्तावेजों के साथ सम्बन्धित सहायक / लिपिक(आडिट) / सक्षम अधिकारी की उपस्थिति इस कार्यालय में सुनिश्चित करें। जिन पाठशालाओं का आडिट नहीं हुआ है या लम्बित आडिट पैरे नहीं हैं वे पत्र द्वारा ही इस कार्यालय को सूचित करें।

इसे अतिआवश्यक समझें । किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा निष्क्रियता का गम्भीर नोटिस लिया जायेगा तथा कार्य निष्पादन में लापरवाही बरतने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्व विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

उप निदेशक उच्चतर शिक्षा
शिमला जिला शिमला–1

पृष्ठांकन संख्याः सम दिनांक शिमला–171001
प्रतिलिपिः–

1. शिक्षा निदेशक हि0प्र0 शिमला–1 को उनके पत्र संख्याःई0डी0एन0–एच0ई0(5)सी(15)–323 / 2016–17–आडिट दिनांकः14 / 07 / 2017 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. नोडल अधिकारी(आन्तरिक)को website में प्रकाशित करने हेतु / अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. रक्षक नस्ति।

उप निदेशक उच्चतर शिक्षा
शिमला जिला शिमला–1